

**CITY FACT AND FACILITIES BY GOVERNMENT**

Mohammad Asif मो. नं. +91-9413609001

Anand Nagar, Sumerpur Dist-Pali (Raj.) PIN-306902

**PUBLIC WEB SERVICE****CONTECT DIRECTORY****NEWS & FACT****BENEFIT OF GOVT.****WIDOW DAUGHTER MARRIGE**

विधवाओं की पुत्री विवाह पर सहायता -

1.	पात्रता	1. महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया हो। 2. 25 वर्ष व उससे अधिक आयु का कोई कमाऊ सदस्य परिवार में नहीं हो। 3. विधवा की वार्षिक आय रु. 50000/- से अधिक नहीं हो। 4. महिला के दो कन्या सन्तान के लिए सहायता देय है। 5. कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
2.	आवेदन कहाँ किया जायें	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पाली या पंचायत समिति सुमेरपुर को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन विवाह से एक माह पूर्व अथवा विवाह के 6 माह तक किये जाने का प्रावधान है।
3.	देय लाभ	योजना अन्तर्गत 10000 /- की आर्थिक सहायता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दिये जाने का प्रावधान है।
4.	आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज	वधु/वर का आयु का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, राशनकार्ड की छायाप्रति, बी.पी.एल. चयनित प्रमाण पत्र, विवाह/प्रस्तावित विवाह का प्रमाण/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र तथा विधवा पेंशनर पीपीओ या आय प्रमाण पत्र/पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।